<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-323/2020/टोंक (2020/00323)

शेर खां पुत्र श्री गलशेर खां जाति मुसलमान निवासी कायमखानी की गली मेहन्दी बाग तहसील व जिला टोंक

अपीलांट्स

बनाम

1. शेर मोहम्मद पुत्र गुलशेर खां
2. श्रीमती हमीदा पुत्र गुलशेर खां पत्नी अहमद नूर खां
   समस्त जाति मुसलमान निवासी कायमखानी की गली मेहन्दी बाग तहसील व जिला टोंक
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोंक

रेस्पोडेंट्स

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध विद्वान तहसीलदार (भू-अभिलेख), टोंक द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1006.</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दीपक पारीक, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1, 2
3. राजकीय अभिभाषक श्री आकाश पारीक

<u>निर्णय</u>

दिनांकः-..............

अपीलांट ने यह अपील विद्वान तहसीलदार (भू-अभिलेख), टोंक द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1006 से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत [illegible]लय में प्रस्तुत की हैं।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना [illegible] अंत[illegible] धारा-5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील में कोई देरी को क्षमा क[illegible]तु प्रार्थना की है। उसके अनुसार पिता गुलशेर खान की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामांतकरण संख्या 1006 स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलांट शे[illegible]खान के स्थान पर छोटे [illegible] दर्ज हो गया। अपीलांट एक अनपढ़ व्यक्ति है तथा गलत नाम जानकारी इंद्राज की जानकारी उसको फसल खराब मुआवजा देने के समय हुई। तथा शेर खान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:03 IST
Reason: SelfAttested

जगह छोटे मिया लिखा है। जिस पर प्रार्थी द्वारा 138/2015 शेरखान बनाम शेर मोहम्मद दर्ज करवाया।जिससे उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा 24.06.2016 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय की जानकारी भी प्रार्थी के वकील द्वारा उसको नहीं दी गई। दिनांक 15.07.2020 को उसे जानकारी प्राप्त हुई जिस पर 16.07.2020 को नामांतकरण की प्रमाणित प्रति आवेदन प्रस्तुत किया जो उसके 23.06.2020 को प्राप्त हुआ। दिनांक 13.08.2020 को अजमेर आकर अपील प्रस्तुत कर दी गई थी।

जवाब अपील में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 में अपील के तथ्यों को स्वीकार किया है तथा अतिरिक्त कथन में यह माना है कि अपीलांट का सही नाम शेर खान है जो राजस्व रिकॉर्ड मे छोटे मिया दर्ज है।

1- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खाता सं0 हाल 723 के ख0नं0 1073 लगभग 3 बिस्वा गैर मुमकिन चाह ख0नं0 1076 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बिस्वा एवं एक अन्य खाता सं0 722 ख0नं0 1065/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1067 रकबा 18 बिस्वा, 1069 रकबा 11 बिस्वा, 1070 रकबा 10 बिस्वा, 1071 रकबा 1 बिस्वा, 1072 रकबा 11 बिस्वा, 1074 रकबा 11 बिस्वा, 1077 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 1079 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम सोनवा तहसील व जिला टोंक के मूल खातेदार गुलशेर खां थे। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस के पिता गुलशेर खां के देहान्त उपरांत उनका विरासतन नामान्तरकरण 1006 स्वीकृत किया गया। जिसमें अपीलांट का नाम शेर खां के स्थान पर छोटे मियां दर्ज हो गया। अपीलांट एक अनपढ व्यक्ति है एवं उसे राजस्व रेकार्ड में हुई नाम की गलती के इन्द्राजात का ज्ञान नहीं था। गत वर्षो मे वर्षा के कारण फसल खराब होने पर राज्य सरकार द्वारा फसल खराबी का मुआवजा दिए जाने पर अपीलांट ने मुआवजा राशि के संबंध मे पटवारी हल्का से बातचीत की, तब पटवारी हल्का ने बताया कि राजस्व रिकार्ड मे शेर खां नाम दर्ज नही होकर छोटे मियां नाम दर्ज है। आप पहले उसे दुरूस्त करावे, तद्उपरान्त मुआवजा या जमीन से संबंधित दूसरी बातो का निस्तारण किया जायेगा, तब अपीलांट को उक्त गलत इन्द्राजात का ज्ञान हुआ। उक्त जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 138/2015 बउनवानी ''शेर खां बनाम शेर मौहम्मद'' बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एवं उदघोषणा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमे वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को स्वीकार करते हुए अपीलांट [illegible] छोटे खां के स्थान पर शेर खां दर्ज किए जाने की स्वीकृति प्रदा[illegible] पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] राजस्व लोक अदालत केम्प, सोनवा में [illegible] निर्णय दिनांक 24.6.2016 द्वारा नामान्तरकरण सं[illegible] सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्रदान करते हुए उक्त वा[illegible] पत्र खारिज फरमा दिया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.6.2016 मे दिए गए निर्देशो की पालना मे नामान्तरकरण संख्या 1006 के विरूद्ध अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:03 IST
Reason: SelfAttested

यह अपील निम्न ठोस व कानूनी आधारो पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के अभिभाषक उपस्थित द्वारा उपस्थित होकर जवाब अपील प्रस्तुत किया तथा अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपील को स्वीकार कर अपीलांट का नाम छोटे मियां के स्थान पर शेर खां संशोधित किये जाने पर सहमति जाहिर की।

2.-

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता गुलशेर खां की मृत्यु उपरान्त विरासती नामान्तरकरण संख्या 1006 स्वीकृत किया गया, जिसमे अपीलांट शेर खां के स्थान पर उसका नाम छोटे मियां दर्ज हो गया। अपीलांट एक अनपढ़ व्यक्ति है एवं उसे राजस्व रिकार्ड मे हुए नाम की गलती के इन्द्राजात का ज्ञान नही था। गत वर्षो मे वर्षा के कारण फसल खराब होने पर राज्य सरकार द्वारा फसल खराबी का मुआवजा दिए जाने पर पटवारी हल्का से उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थी ने राजस्व वाद संख्या 138/2015 बउनवानी ''शेर खां बनाम शेर मौहम्मद'' बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एवं उदघोषणा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, टोंक द्वारा उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प, सोनवा मे नियत कर अपने निर्णय दिनांक 24.6.2016 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1006 की अपील सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्रदान करते हुए उक्त वाद पत्र खारिज फरमा दिया। वर्ष 2016 के उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी को नही दी। दिनांक 15.7.2020 को प्रार्थी द्वारा जब अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तो, अभिभाषक महोदय ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, टोंक के निर्णय की जानकारी दी। जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.7.2020 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 23.7.2020 को प्राप्त हुई, प्रार्थी प्रकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर दिनांक 6.8.2020 को अजमेर आया तथा अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया, जिनके द्वारा उक्त अपील तैयार करवाकर बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अपील में हुआ विलंब सदभाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करने की कृपा करे।

न्यायालय का यह मानना कि अपीलांट द्वारा जानाकारी प्राप्त होते ही तेज गति से प्रयास किये जाकर दस्तावेज प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा खुद को अनपढ़ बताया है साथ प्रार्थना पत्र के संबंध में शपथ पत्र भी दिया है न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट द्वारा जानबूझकर देरी नही की है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

3- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि यह कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के पिता गुलशेर खां की मृत्यु उपरान्त विरासती नामान्तरकरण संख्या 1006

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:03 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृत किया गया, जिसमे अपीलांट शेर खां के स्थान पर उसका नाम छोटे मियां दर्ज हो गया। उस समय उक्त गलत इन्द्राज अर्थात् शेर खां के स्थान पर छोटे मियां दर्ज हो जाने का अपीलांट को ज्ञान नही हो सका, जबकि अपीलांट का नाम शेर खां पुत्र स्व0 गुलशेर खां है। अपीलांट के राशनकार्ड, आधार कार्ड, नगर परिषद द्वारा जारी किया गया पट्टा व ड्राईविंग लाईसेन्स मे भी शेर खां ही नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण संख्या 1006 मे अपीलांट का नाम छोटे मियां के स्थान पर शेर खां दर्ज किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट का नाम शेर खां के स्थान पर छोटे मियां दर्ज हो जाने से अपीलांट को मानसिक एवं आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। अपीलांट भविष्य मे कोई भी हस्तान्तरण इत्यादि करना चाहे, तो वह राजस्व रिकार्ड मे हुई नाम की गलती के कारण उक्त कृत्य को पूर्ण नही कर पायेगा एवं नाम की गलती के कारण अपीलांट अपनी पैत्रक हक व अधिकारो की आराजी के स्वतंत्र उपयोग उपभोग भी नही कर पा रहा है एवं ना ही आराजी को विकसित कर पा रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट का नाम छोटे मियां के स्थान पर शेर खां दर्ज किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने जवाब अपील प्रस्तुत किया तथा अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपील को स्वीकार कर अपीलांट का नाम छोटे मियां के स्थान पर शेर खां संशोधित किये जाने पर सहमति जाहिर की।

वकील अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 17.08.2020 को रेस्पोडेंड संख्या 3 काफिया बेवा गुलशेर खान का स्वर्गवास हो चुका है। तथा उनके वारिसान उक्त अपील में अपीलांट एवं रेस्पोडेंड संख्या 1 व 2 के रूप में पूर्व से ही पक्षकार के रूप में दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेंड संख्या 3 काफिया बेवा गुलशेर खान का नाम तर्क किये जाने बाबत् निवेदन किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। चूंकि मृतका के वारिस पूर्व में ही पत्रावली पर दर्ज है। अतः मृतका का नाम(रेस्पोडेंड संख्या-3) तर्क किये जाने का निवेदन स्वीकार किया जाता है।

5- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजों में अपीलांट का नाम शेर खां पुत्र गुलशेर खां अंकित है जबकि गुलशेर खां की विरासत नामान्तरकरण संख्या 1006 में अपीलांट का नाम छोटे मियां अंकित किया गया है। रेस्पोडेंटस जो अपृीलांट के सगे भाई व बहिन है ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपीलांट का नाम शेर खां होने पर सहमति जाहिर की है।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलार्थ आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोंक इस आश्य के साथ पुनः प्रेषित की जाकर प्रस्तुत की जाती है कि वह विस्तृत जांच कर के यह पता लगाये कि क्या वास्तव मे छोटे मियां उर्फ शेर खान एक ही व्यक्ति है। काफिया बेवा गुलशेर खान का मृत्यु प्रमाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:03 IST
Reason: SelfAttested

पत्र प्राप्त किया जाये। उक्त जांच में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेज साक्ष्य/बैंक दस्तावेज लिए जाये। छोटे मियां संभवतः घर पर बोलचाल में कहा जाता है। यदि बाद विस्तृत जांच छोटे मियां और शेर खां एक ही व्यक्ति पाये जाते है तो नामान्तरकरण संख्या 1006 ग्राम सोमवा तहसील टोंक में जवाब रेस्पोडेंड द्वारा अपील के तथ्यों के स्वीकारोक्ति की रोशनी में तदनुसार संशोधन करते हुए छोटे मियां की जगह शेर खां दर्ज किया जावें।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 323/2020 (2020/00323) बउनवानी शेर खां बनाम शेर मोहम्मद व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, टोंक को निर्देशित किया जाता है कि काफिया बेवा गुलशेर खान का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करे तथा यदि बाद विस्तृत जांच छोटे मियां और शेर खां एक ही व्यक्ति पाये जाते है तो नामान्तरकरण संख्या 1006 ग्राम सोमवा तहसील टोंक हेतु रेस्पोडेंड द्वारा जवाब अपील के तथ्यों के स्वीकारोक्ति की रोशनी में संशोधन करते हुए तदनुसार छोटे मियां की जगह शेर खां दर्ज किया जावें।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:03 IST
Reason: SelfAttested